

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)

आदेश पत्रक ता. 12.08.2025

जिला - गिरिडीह केस नं.68/2025 (भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163 के तहत)

इस्लाम अंसारी -बनाम- ताहीर अंसारी वगैरह

(भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163 उपधारा 4)

आदेश का क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पचाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं तिथि
1	2	3
(9). 12.08.2025	आवेदक, प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163 के तहत समर्पित आवेदन के आलोक में वादगत भूमि की जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु अंचल अधिकारी, डुमरी तथा थाना प्रभारी, निमियांघाट को निदेशित किया गया। थाना प्रभारी, निमियांघाट के थाना ज्ञापांक 1006/25 दिनांक 18.05.2025 के द्वारा आवेदित भूमि के संबंध में स्थलीय जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें वादगत भूमि पर भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई हेतु अनुशंसा किया गया। थाना प्रभारी, निमियांघाट द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में वादगत भूमि जिसकी विवरणी नीचे अंकित है, पर भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163(1) के तहत प्रतिबंधित करते हुए वाद को पंजीकृत कर उभय पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया। — वादगत भूमि की विवरणी — मौजा : असुरबांध, थाना नं० 0153, खाता नं० 20, प्लॉट नं० 2084, रकबा: 2.5 डी० थाना प्रभारी, निमियांघाट के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि विवादित भूमि मौजा: असुरबांध, थाना नंबर 153, खाता नं० 20, प्लॉट नं० 2084, रकबा: 2.50 डीसमील जमीन के संबंध में प्रथम पक्ष के द्वारा केवाला एवं रसीद कागजात प्रस्तुत किया गया। जिसका अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि दिनांक 09.06.1993 ई० को 1. तबीमन खातुन जौजे यूसुफ अंसारी, 2. रसीदन बीबी जौजे रमजान अली(अंसारी), 3. मैमुन खातुन जौजे हबीब अंसारी तीनों साकिन असुरबांध, थाना डुमरी हाल थाना निमियांघाट, जिला गिरिडीह ने विक्रेता तेजली मियाँ वल्द गानो मियाँ सा० असुरबांध, थाना डुमरी हाल थाना निमियांघाट, जिला: गिरिडीह से 2.50 डी० भूमि केवाला के माध्यम से खरीदगी किया गया है। जिसका चौहदी उतर में- सहादत हुसैन, दक्षिण में- गुड़कू मियाँ, पूरब में- जुजो प्लॉट (नूर मोहम्मद वगैरह) का पक्का मकान, पश्चिम में- जुनाब अली मियाँ(द्वितीय पक्ष) है। मालगुजारी रसीद का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि अंचल कार्यालय डुमरी के रजिस्टर नं० 02 में Page No. - 31 Vol. No. 9, Reciept No. 0860393740 है, जो दिनांक 21.07.2024 तक मालगुजारी रसीद निर्गत है। द्वितीय पक्ष से उक्त जमीन से संबंधित कागजात मांग किये जाने पर कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त भूमि का स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रथम पक्ष के सदस्यगण द्वारा उक्त भूमि के चौहदी सहादत हुसैन	

8

की ओर से पूर्व में पक्का नींव डाला गया था और द्वितीय पक्ष के सदस्यगण के घर के पिछला दरवाजा(गेट) के सामने पक्का दिवाल बनाकर गेट को बंद किया गया था। जिसे द्वितीय पक्ष के सदस्यगण के द्वारा पूर्व से गेट(दरवाजा) के सामने की आधी दिवाल को तोड़ दिया गया है, जबकि वो दिवाल एवं नींव प्रथम पक्ष के द्वारा पूर्व में बनाया गया था। द्वितीय पक्ष के उपस्थित सदस्यगण से इस संबंध में पूछने पर बताया गया कि नापी कराने के बाद हमलोगों के द्वारा दिवाल तोड़ा गया है परन्तु नापी से संबंधित कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त विवादित भूमि पर पूर्व से निर्मित दिवाल को द्वितीय पक्ष के द्वारा जबरन तोड़ दिया गया है, जिसको लेकर उभय पक्षकारों के बीच तनाव बना हुआ है। जिससे विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। उभय पक्षों के बीच विवादित भूमि को लेकर व्याप्त तनाव के कारण भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई करने का अनुशंसा किया गया है।

इस वाद में निर्गत नोटिस के अनुपालन में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। वादगत भूमि के संबंध में उभय पक्षकारों के द्वारा कारणपृच्छा एवं दस्तावेजों की छाया प्रति समर्पित किया गया, जो कि अभिलेखबद्ध है।

— विचारण एवं आदेश —

इस वाद में सुनवाई के दौरान उपस्थित उभय पक्षकार तथा उनके विज्ञा अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों को सुनने के उपरान्त तथा थाना प्रभारी निमियांघाट के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने से अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वादगत भूमि निबंधित केवाला संख्या 6952 दिनांक 09.06.1993 के माध्यम से 1. तबीमन खातुन जौजे यूसुफ अंसारी, 2. रसीदन बीबी जौजे रमजान अली(अंसारी), 3. मैमुन खातुन जौजे हबीब अंसारी तीनों साकिन असुरबांध, थाना डुमरी हाल थाना निमियांघाट, जिला गिरिडीह ने विक्रेता तेजली मियाँ वल्द गानो मियाँ सा० असुरबांध, थाना डुमरी हाल थाना निमियांघाट, जिला: गिरिडीह से 2.50 डी० हासिल है। क्रेता संख्या 2 प्रथम पक्ष की माँ हैं। उक्त खरीदगी भूमि पर प्रथम पक्षकार का चाहरदिवारी बना हुआ है। जिसे द्वितीय पक्ष के द्वारा आधी दिवाल को तोड़ दिया गया है, इस बात की पुष्टि स्थानीय पुलिस निमियांघाट थाना के द्वारा समर्पित स्थलीय जाँच प्रतिवेदन से भी होती है। जबकि द्वितीय पक्ष उक्त भूमि के संबंध में कहना है कि द्वितीय पक्षकार संख्या 1 के सदस्य ताहिर अंसारी के दादा फगडु मियाँ के नाम से मौजा असुरबांध, खाता नं. 20, प्लॉट नं. 2084, रकवा 05 डी. के मध्ये 1 डी. भूमि केवाला के माध्यम से हासिल है, जिसका केवाला संख्या 5640 दिनांक 23.05.1956 है और तब से द्वितीय पक्ष शांतिपूर्ण दखलकार हैं। द्वितीय पक्ष का यह भी कहना है कि उनके द्वारा अपनी खरीदगी भूमि पर रास्ता खोले हुए हैं। द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष की भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है। प्रथम पक्ष के भूमि पर अवस्थित दिवाल को द्वितीय पक्ष के द्वारा तोड़ा जाना उचित प्रतीत नहीं होता

है। इस बात की पुष्टि थाना प्रभारी निमियांघाट के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से भी होती है। वाद की सुनवाई के दौरान प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा वादगत भूमि पर लागू धारा 163 का उल्लंघन द्वितीय पक्ष के सदस्यों द्वारा किए जाने से संबंधित सूचना एवं द.प्र.सं. की धारा 188 के तहत कार्रवाई प्रारम्भ करने का अनुरोध किया गया, परन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए प्रथम पक्ष के द्वारा द.प्र.सं. की धारा 188 के तहत समर्पित आवेदन को खारिज किया गया।

वस्तुतः यह मामला उभय पक्षकारों के बीच अपने-अपने खरीदगी भूमि का सीमांकन कराने से संबंधित है। जिसका निष्पादन करने के लिए उभय पक्षकार अंचल कार्यालय डुमरी में वादगत भूमि का सीमांकन कराने हेतु विधिवत आवेदन समर्पित कर सकते हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर तथा भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163(4) के तहत इस वाद में सुनवाई हेतु आज अंतिम तिथि होने के कारण इस वाद की सुनवाई समाप्त करते हुए अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को उपलब्ध कराएँ साथ ही एक प्रति अंचल कार्यालय, डुमरी को भी प्रेषित करें। वाद निष्पादित।

लेखापत्र एवं संशोधित
12/08/2025

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
डुमरी।

12/08/2025

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
डुमरी।